WELFARE STAMP बिहार BIHAR

प्रपत्र-ख

शपथ-पत्र

मैं, प्रतीक शुक्ला .... पिता/पति ....

उम्र ...39...... वर्ष, *नगर निगम/*~~नगर-परिषद~~/*~~नगर-पंचायत~~ ...मुजफ्फरपुर... के वार्ड संख्या ...46...

मोहल्ला ...., पोस्ट .... थाना ...., जिला ...मुजफ्फरपुर...

बिहार का निवासी हूँ, तथा शपथ पूर्वक घोषणा करता/~~करती~~ हूँ:-

कि मैं अपना नाम निर्देशन पत्र *नगर निगम/*~~नगर-परिषद~~/*~~नगर-पंचायत~~ ...मुजफ्फरपुर... के वार्ड संख्या ...46... के *पार्षद/*~~उप-मुख्य पार्षद~~/*~~मुख्य पार्षद~~ पद के निर्वाचन हेतु दाखिल कर रहा/~~रही~~ हूँ;

कि मैं बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 की धारा 18 के उपबन्धों से पूर्णत: अवगत हूँ;

कि मैं बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 की धारा 18 के तहत *नगर निगम/*~~नगर-परिषद~~/*~~नगर पंचायत~~ ...मुजफ्फरपुर... के वार्ड ...46... के *पार्षद/*~~उप-मुख्य-पार्षद~~/*~~मुख्य पार्षद~~ पद के निर्वाचन के लिए अथवा निर्वाचन के बाद अपने पद पर बने रहने के लिए अनर्हित नहीं हूँ;

कि संलग्न अनुसूचित में मेरे द्वारा अंकित की गई सूचनाएँ मेरे विश्वास एवं जानकारी में सही और सत्य है।

अभ्यर्थी का हस्ताक्षर

1. गवाह का पूर्ण हस्ताक्षर - ....
   नाम- ....
   पता- ....

2. गवाह का पूर्ण हस्ताक्षर ....
   नाम- ....
   पता- ....

स्थान : मुजफ्फरपुर

दिनांक : 22/9/22

SR. ...... DATE ......

THE ABOVE NAMED ... HAS BEEN IDENTIFIED BY ADVOCATE ... PERSONALLY TO ME ... SANSFACTION ... APPEAR BEFORE ... PRAKASH SINGH ... CIVIL COURT, MUZAFFARPUR (BIHAR)

SEP 2022

*जो लागू नहीं हो उसे काट दें।

नोट : कार्यपालक दण्डाधिकारी/नोटरी पब्लिक/ओथ कमिश्नर के समक्ष शपथ ली जाएगी।

Scanned with CamScanner

...लिका आम निर्वाचन, 2022 के अवसर पर प्रत्येक अभ्यर्थी द्वारा शपथ-पत्र के साथ दी जाने वाली सूचनाओं का प्रपत्र

मुजफ्फरपुर......जिला के *नगर निगम/*~~नगर परिषद~~/*~~नगर पंचायत~~ ......मुजफ्फरपुर........

के वार्ड संख्या ....46.......... से *पार्षद/*~~उप मुख्य पार्षद~~/*~~मुख्य पार्षद~~ पद का निर्वाचन।

अभ्यर्थी का नाम- प्रतीक भूषण

पिता/पति का नाम-स्व० जगन्नाथ पंडित

1. क्या आप देश के भीतर या बाहर किसी न्यायालय द्वारा कभी कारावास या अर्थदण्ड से दंडित किये गये हैं- नहीं

(क) यदि हाँ, तो निम्न विवरण अंकित करें:- शून्य

(i) न्यायालय का नाम जिसके द्वारा दंडित किये गये- शून्य

(ii) दंडित किये जाने की तिथि एवं वाद संख्या- शून्य

(iii) किये गये अपराध की प्रकृति- शून्य
(अधिनियम एवं धाराओं का विवरण सहित)

(iv) दिया गया दण्ड- शून्य

(v) काराधीन रहने की अवधि, यदि कोई हो- शून्य

(vi) कारावास से मुक्त होने की तिथि- शून्य

(ख) उपरोक्त दण्डादेश के विरूद्ध कोई अपील/पुनर्विचार का आवेदन दायर किया गया है या नहीं? नहीं

(i) अपील संख्या/पुनर्विचार आवेदन पत्र, यदि कोई हो, का विवरण- शून्य

(ii) न्यायालय का नाम जिसके समक्ष अपील/पुनर्विचार आवेदन पत्र दायर किया गया-शून्य

(iii) क्या दायर अपील/पुनर्विचार आवेदन पत्र निष्पादित हो चुका है अथवा लंबित है- शून्य

(iv) यदि निष्पादित है, तो शून्य

(क) निष्पादन की तिथि- शून्य

(ख) पारित आदेश का संक्षिप्त विवरण- शून्य

(v) क्या अपील/पुनर्विचार आवेदन पत्र के विचारण के दौरान कोई जमानत दिया गया- शून्य

(vi) यदि हाँ, तो जमानत पर मुक्त रहने की अवधि- शून्य

(ग) क्या आप किसी न्यायालय में किसी अपराध में दोषमुक्त (acquittal) या उन्मोचित (discharge) किये गये हैं, यदि हाँ तो निम्न विवरण दें- नहीं शून्य

(i) न्यायालय जिसके द्वारा दोषमुक्त किये गये हों- शून्य

(ii) आरोप की प्रकृति एव वाद संख्या- शून्य

Scanned with CamScanner

प्र

क्या आप नामांकन दाखिल करने की तिथि के छः माह पूर्व देश के भीतर या बाहर वैसे किसी लंबित ले में आरोपित हैं और उसमें आरोप तैयार कर लिया गया है अथवा सक्षम विधि न्यायालय द्वारा संज्ञान लिया गया है, जिसमें छः माह से ज्यादा की सजा हो सकती है? यदि हाँ, तो निम्न विवरण दें:- नहीं शून्य

(i) अधिनियम की धारा और अभियोग का विवरण जिसके लिये आरोपित है। संज्ञान लिया गया है- शून्य

(ii) न्यायालय जिसने आरोप तैयार किया है/संज्ञान लिया है- शून्य

(iii) अपराध संख्या शून्य

(iv) आरोप तैयार करने/संज्ञान लेने का न्यायालय के आदेश का दिनांक- शून्य

(v) उपर्युक्त आरोप तैयार करने/संज्ञान लेने के विरूद्ध अपील (अपीलों)/पुनर्विलोकन का प्रार्थना पत्र (पत्रों) यदि कोई हो तो उसका विवरण- शून्य

3. क्या आपके विरूद्ध उक्त कंडिका (2) में वर्णित मामले से भिन्न किसी अन्य मामले में देश के भीतर या बाहर किसी न्यायालय द्वारा संज्ञान लिया गया है? यदि हाँ, तो निम्न विवरण दें- नहीं

(i) अधिनियम की धारा और अभियोग का विवरण जिसके लिये आरोपित है/ संज्ञान लिया गया है- शून्य

(ii) न्यायालय जिसने आरोप तैयार किया है/संज्ञान लिया है- शून्य

(iii) अपराध संख्या- शून्य

(iv) आरोप तैयार करने/संज्ञान लेने का न्यायालय के आदेश का दिनांक- शून्य

(v) उपर्युक्त आरोप तैयार करने/संज्ञान लेने के विरूद्ध अपील (अपीलों)/पुनर्विलोकन का प्रार्थना पत्र (पत्रों) यदि कोई हो तो उसका विवरण- शून्य

4. यदि कोई निर्वाचन संबंधित अपराध लंबित हो, तो पूर्ण विवरण- शून्य

5. अपनी परिसम्पत्ति अपने पति/पत्नी एवं आश्रितों सहित का विवरण निम्नवत है:-

(क) अचल सम्पत्ति:-

(i) कृषि भूमि :- शून्य

(ii) शहरी भूमि- 3½ कट्ठा जमीन जो मेरे दादा जी के नाम है बाजार मूल्य - 1,2000000/-(एक करोड़ बीस लाख)

(iii) भवन- कच्चा खपड़ैल मकान - बाजार मूल्य - 30000/- (तीस हजार)

उपरोक्त की स्थिति, माप तथा वर्तमान बाजार मूल्य दिया जाए।

Scanned with CamScanner

(5) चल सम्पत्ति तथा उनकी वर्तमान कीमत:- (1) U.B.I – 878.80/- (2) केनरा बैंक – 2864.39/- (3) बैंक ऑफ बड़ौदा – 3183.53/-

(i) नकद 2,000/-(दो हजार) (ii) बैंक बैलेन्स- (बैंक का प्रिन्टआउट संलग्न करें।)

(iii) फिक्स डिपोजिट सहारा मे 86,000/- (iv) बॉण्ड, शेयर- शून्य

(प्रमाण-पत्र की छायाप्रति संलग्न करें। (इसके प्रमाण की छायाप्रति संलग्न करें)

(v) वाहन (1) Regn. BR06CM–1842 (2) BR06BC-2190 (vi) आभूषणों का विवरण पत्नी के नाम का जेवर मंगलसूत्र -135000/- पायल — 10,000/-

(निबंधन की छाया प्रति जिसका परिवहन पदाधिकारी की मुहर के साथ संलग्न करें) (पूर्ण विवरण दें)

6. **(क) अपने पति/पत्नी एवं आश्रितों सहित के दायित्वों/ वित्तीय संस्थाओं के बकायों का पूर्ण विवरण दिए जाएँ (प्रमाण-पत्रों के साथ) ब्याज लिया है 150000/– (डेढ़ लाख)

(ख) अगर के.सी.सी. है तो उसके अद्यतन प्रमाण-पत्र की छायाप्रति शून्य

7. अपनी शैक्षणिक योग्यता का विवरण स्कूल व कॉलेज के नाम के साथ अंकित करें- मैट्रीक – 1998 (मारवाड़ी उच्च विद्यालय मुजफ्फरपुर) इन्टर मिडियेट - 2000 (नितीश्वर महाविद्यालय मुजफ्फरपुर)

मैं घोषणा करता/करती हूँ कि उपरोक्त सूचनाएँ मेरी जानकारी एवं विश्वास में सही और सत्य हैं।

स्थान- मुजफ्फरपुर

तिथि- 23/9/22

Pradip Bhushan

अभ्यर्थी का हस्ताक्षर

*जो लागू नहीं हो उसे काट दें।

** वित्तीय संस्था/बैंक/सरकार/आयकर/वेल्थ टैक्स/प्रोपर्टी टैक्स/बिक्री कर संबंधी बकाया।

नोट :- सभी स्तम्भ निश्चित रूप से भरे जायें। जहाँ शून्य विवरण देना हो वहाँ "शून्य" अवश्य अंकित किया जाय। स्तम्भ खाली छोड़ देने अथवा (X) चिह्न अंकित करने पर यह माना जायेगा कि अभ्यर्थी द्वारा सूचना छिपाने की चेष्टा की गई है और यह नामांकन पत्र रद्द करने का आधार बन सकता है।

Scanned with CamScanner